प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की ... में जा...
।/25	वकुलाए उप० / Record अप्राप्त / ... पत्र जारी हो / पत्रावली वास्ते इंतजार Record नामान्तरण एवं जवाब दिनांक 6/11/25 को पेश हो /	
6/11/25.	आज पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13/11/25 को पेश हो रेस्पो. 1 ने जवाब अपील पेश किया	
13/11/25.	वकु० उप० / बहस उभयपक्ष सुनी गयी / पत्रा० वास्ते आदेश दि० 26/11/25 को पेश हो /	
26/11/25	वकुलाए उप० / चुनाव कार्य मे व्यस्त होने से आदेश नही लिखाया जा सका / पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16/12/25 को पेश हो /	
16/12/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई / अपील अपीलार्थ अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया / निर्णय खुले न्याया० सुनाया गया / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होबाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो /	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
02/अपील/2020	24.08.2020	16.12.2025

1. रूकमा बाई आयु 63 वर्ष पत्नी रामनारायण पुत्री रामा जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 हाल निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
2. सुन्दर बाई आयु 60 वर्ष पत्नी शम्भू लाल पुत्री रामा जाति जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 हाल निवासी काला पिपल (धनेश्वर) तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. मोती आयु बालिग दत्तक पुत्र रामा आ0 भैरया जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
3. सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

रेस्पोडेंटस

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादी:– श्री हिम्मत सिंह
अधिवक्ता प्रतिवादी:– श्री बृजमोहन गौतम

– : : **निर्णय** : : –

अपील– विरूद्व नामांतकरण सं. 418 दिनांक 03.02.2003 वाके ग्राम सूतडा

अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 (अन्तिम चौसला आधार सम्वत् 2076 जमाबन्दी 2076 वर्ष 2019) की खतोनी सं. नई 217 पुरानी 202 की कृषि भूमि ख.सं. 108 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, ख.सं. 109 रकबा 1.5945 हैक्टेयर, ख.सं. 110 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, ख.सं. 111 रकबा 0.8822 हैक्टेयर, ख.सं. 112 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 3.1404 हैक्टेयर वाके ग्राम सूतडा पटवार हल्का धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की नकल अपील के साथ संलग्न है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के रकबे को वर्तमान में हैक्टयेर में परिवर्तित कर दिया गया है। उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में रतन लाल वल्द मोडया व मु0 सरजू बाई बेवा मोडया, झमकू, अगामी, भूली, प्यारी बाई, मनभर पुत्रीयां मोडया व रामा वल्द कूका 2/3 तथा धीसी बेवा भेरया, मोती, नन्दा पिता भेरया 1/3 खातेदारी में दर्ज थीं। जिसमें खातेदार रामा की मृत्यु दिनांक 07.04.1999 को हो चुकी है। खातेदार स्व0 रामा वल्द कूका के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं था। केवल मात्र दो पुत्रियां रूकमा बाई व सून्दर बाई है। जिनके पक्ष में स्व0 रामा द्वारा अपने जीवनकाल में ही एक वसीयतनामा अपनी दोनो पुत्रियों रूकमा बाई व सुन्दर बाई के पक्ष में दिनांक 24.08.1998 को नोटरी पब्लिक बून्दी से 100/–रू0 के स्टाम्प पर प्रमाणित कर गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित करवा दिया गया था। वसीयत नामा निष्पादित करवाने के बाद करीबन 8 माह बाद खातेदार रामा वल्द कूका की मृत्यु हो गई थीं। खातेदार रामा वल्द कूका की मृत्यु होने के बाद रेस्पोडेंट सं. 1 मोती वल्द भैरया ने स्वयं को स्व0 खातेदार रामा वल्द कूका का गोद पुत्र बताते हुऐ उसके 1/3 हिस्से की संपूर्ण कृषि भूमि पर एक गोदनामें के आधार पर अपना नाम खातेदार रामा के स्थान पर दर्ज करवा लिया। जिसका नामांतकरण सं. 418 दिनांक 03.02.2003 को ग्राम पंचायत धनरेश्वर के सरपंच विजयलाल कुम्हार के द्वारा तस्दीक किया गया था। जिसके विरूद्व अपीलान्ट अपील प्रस्तुत करते है। अपीलान्ट का वृक्ष पीढी व पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

खातेदार रामा वल्द कूका (मृत्यु दिनांक 07.04.1999)

धापू बाई	रूकबा बाई	सुन्दर बाई
पत्नी	पुत्री	पुत्री

अपील में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार रामा वल्द कूका ने अपने जीवन काल में अपने भाई भैरया के पुत्र मोती को कभी भी गोद नहीं लिया और ना ही गोद पुत्र के बाबत् कोई दस्तावेज निष्पादित किया गया है रेस्पोडेंट सं. 1 मोती वल्द भैरया को गोद लेने के बाबत न तो अपीलान्ट को जानकारी है और न ही अपीलान्ट को कभी भी इसके बाबत अपीलान्ट के पिता रामा व माता धापू बाई ने जानकारी दी। खातेदार रामा वल्द कूका की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट सं. 1

ाडेंट सं. 2 व 3 के साथ मिलिभगत करते हुऐ अपीलान्ट को उनके हक व अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य ातेदार रामा के हिस्से की संपूर्ण कृषि भूमि को अपने नाम जरिये नामांतकरण सं. 418 से दर्ज करवा लिया गया है। उक्त नामान्तरण की प्रक्रिया विधि विरूद्ध व सर्वथा न्याय के विपरीत होने से नामान्तकरण निरस्तनीय है। खातेदार रामा वल्द कुका का नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट्गण द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना, नोटिस नहीं दिया गया और न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को कभी भी यह अवगत कराया कि स्व0 रामा ने उसे गोद लिया हुआ है तथा उसके पक्ष में गोदनामा का दस्तावेज निष्पादित किया हुआ है। उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है जो पूर्णतया निरस्तनीय है। स्व0 रामा वल्द कुका का नामन्तकरण तस्दीक करते समय रेस्पोडेन्टगण 2 व 3 द्वारा कोई दस्तावेज गोदनामा बाबत प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उक्त गोदनामा दस्तावेज बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई न ही अपीलान्ट के व उनके गवाहो के बयान लेखबद्ध किये गये और न हीं उनको अपना पक्ष व दस्तावेज प्रस्तूत करने का उचित अवसर प्रदान किया गया, जिसके कारण भी नामान्तकरण निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना, नोटिस व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाकर सीधा ही नामान्तकरण संख्या 418 को तस्दीक कर दिया गया, जबकि उस वक्त ग्राम पंचायत धनेश्वर के सरपंच विजयलाल कुम्हार थे जो अपीलान्ट व उनके पिता रामा को भॅलीभाँति जानते थे, फिर भी उनके द्वारा आपस में दूरभिसंधी करते हुए नामान्तकरण तस्दीक कर दिया है जो निरस्तनीय है। नामान्तकरण संख्या 418 को रेस्पोडेन्टगण द्वारा एक गोदनामें के आधार पर तस्दीक किया गया है, जबकि गोदनामा बाबत घोषणा केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा गोदपुत्र घोषित किया जा सकता है बिना गोदनामा घोषित किये किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जिसके कारण भी नामान्तकरण निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्व0 रामा वल्द कूका की खातेदारी की सम्पूर्ण कृषि भूमि को एक गोदनामें के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाया हुआ है जबकि स्व0 रामा द्वारा कोई गोदनामा अपीलान्ट की जानकारी रहते हुए निष्पादित नहीं किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फर्जी व कुटरचित गोदनामा दस्तावेज के आधार पर स्व0 रामा की सम्पूर्ण कृषि भूमि का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवाकर अपीलान्टगण को उनके हक एवं अधिकार से वचित कर दिया गया है जबकि स्व0 रामा की सम्पूर्ण कृषि भूमि में केवल मात्र अपीलान्ट का हक अधिकार निहित है, जिसके कारण भी नामान्तकरण खारिज किया जाने योग्य है। स्व0 रामा द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी चल, अचल सम्पति व अपील में वर्णित कृषि भूमि के बाबत एक वसीयत नामा दिनांक 24.08.1998 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित कर दिया था, जिस पर स्व0 रामा ने गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया है। उक्त वसीयतनामा दिनांक 24.08.1998 खातेदार रामा की मृत्यु के उपरान्त ही प्रभावी हो गया था और अपीलान्ट के हक व अधिकार रामा के हिस्सें की कृषि भूमि में स्वतः ही निहित हो गये थे। इस कारण से भी स्व0 रामा का खोला गया फौती नामान्तकरण संख्या 418 निरस्तनीय व खारिज होने योग्य है। नामान्तकरण की कार्यवाही करने से पूर्व रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर व नोटिस नहीं दिया गया और न ही ग्राम पंचायत धनेश्वर व हल्का पटवारी सूतडा द्वारा मौके पर जाकर स्व0 रामा के विधिक वारिसान के जीवित या मृत होने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई गवाहों के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये तथा अपीलान्ट को सूचना कर उनके पास प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाबत कोई सूचना नहीं दी गई बल्कि आपस में दुरभिसंधी करते हुए अपीलान्ट के हक व अधिकार को हड़प करने की नियत से उक्त नामान्तकरण संख्या 418 रेस्पोड़ेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया जो निरस्तनीय है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिसलियस कार्यवाही है, नामान्तकरण की कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से भी नामान्तकरण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने दिनांक 06.03.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से कहा कि आप हमारी भूमि हमको संभला दो हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है हमारे पिता की भूमि में हमारा हक व अधिकार निहित है, इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट से कहा कि तुम्हारी कोई भूमि नहीं है तुम्हारे पिताजी ने मुझे गोद ले लिया था अब तुम्हारे पिता की सम्पूर्ण भूमि पर मेरा हक व अधिकार है। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता के मकान में भी मेरा हक व अधिकार है। इस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट से कहा कि हमारे पिता जी ने तो हमारे नाम वसीयतनामा किया हुआ है, इस पर रेस्पोडेन्ट ने कहा कि यहाँ से चले जाओ मैने तो समस्त जमीन मेरे नाम करवा ली है तब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से जाँच करने पर पाया कि रेस्पोड़ेन्ट संख्या 1 ने स्व0 रामा की सम्पूर्ण कृषि भूमि को अपने नाम करवा रखा है। हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त करने के बाद अपीलान्ट द्वारा कम्प्युटराईज जमाबन्दी नकल तलाश कर नामान्तकरण को तलाश करने हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, जिनको उसके बाद ही कोरोना वायरस के प्रभाव रहने से लॉक डाउन अवधि निरन्तर चलते रहने से दिनांक 27.07.2020 को अपने अधिवक्ता से संपर्क कर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल दिनांक 04.08.2020 को प्राप्त कर अपील अन्दर अवधि मध्य पेश की जा रही है, जिससे अपील अन्दर अवधि मध्य पेश है। नामान्तकरण संख्या 418 ग्राम सूतडा जिला बूंदी को रेस्पोडेन्टगण द्वारा तस्दीक किया जाने से न्यायालय श्रीमान को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः

से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 418 को निरस्त फरमाया जावे अपीलान्ट का नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान करे।

अपील के समर्थन में अपीलांटी कम 1 की ओर से सत्यापित प्रतिलिपि नामान्तकरण सं0 418 वाके ग्राम सुतडा एवं वसीयतनामा की फोटो प्रति पेश की। अपीलांटी कम 2 की ओर से शपथ पत्र सुन्दरबाई, नोटेरीशुदा शपथ पत्र सुन्दरबाई ,नोटेरीशुदा सहमति पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोनेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

रेस्पोन्डेंट सं.1 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील की चरण सं0 1 में वर्णित पीढी वृक्ष जिस तरह से लिखा है स्वीकार नही है अस्वीकार है। रेस्पोन्डेंट सं.1 रामा का गोद पुत्र है। अपील की चरण सं0 2 स्वीकार नही, अस्वीकार है। स्व0 रामा वल्द कूका ने अपने जीवन काल में अपने भाई भैरया के पुत्र मोती को गोद लिया था एवं स्व0 रामा आ0 कूका द्वारा अपनी शामलाती कृषि भूमि ख.सं. 108 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, ख.सं. 109 रकबा 1.5945 हैक्टेयर, ख.सं. 110 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, ख.सं. 111 रकबा 0.8822 हैक्टेयर, ख.सं. 112 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 3.1404 हैक्टेयर ग्राम सूतडा पटवार हल्का धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बूंदी की उक्त भूमि पर स्वर्गीय रामा जी ने सम्पूर्ण रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा मे निहित 1/3 हिस्से को जर्ये रजि0 हक त्याग पत्र उप पंजीयक बूंदी के यहाँ पंजीकृत दस्तावेज से मोती आ0 भैरया जाति कुम्हार निवासी सूतडा जिसे उक्त हक त्याग पत्र में स्वयं रामा द्वारा अपना गोद पुत्र बताया और यह स्वीकार किया कि काफी समय पूर्व ही गोद रख लिया था वर्तमान में भी साथ रह रहा है अर्थात मोती आ0 दत्तक पुत्र रामा है। उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 28–2–98 को उप पंजीयक बूंदी के यहां पंजीबद्ध हुआ पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 153 क्रम संख्या 60 क्रम संख्या 181 अतिरिक्त पुस्तक सं.1 जिल्द सं. 253 पृष्ठ सं. 108 से 111 पर चस्पा किया गया है। उक्त हक त्याग पत्र में केस नंबर 791/94 को दर्ज कर निर्णय दिनांक 24–01–98 को हुआ एवं उक्त दस्तावेज पर 1,50,000/–रूपये किमत स्टाम्प पर पूर्ण मुद्रांकित राशि जमा की गई। इस तरह से रेस्पोन्डेंट मोती लाल ने रजिस्टर्ड दस्तावेज से उक्त भूमि प्राप्त की है। जिसका नामान्तकरण संख्या 418 दिनांक 03–02–2003 रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर तस्दीक हुआ है जहाँ तक उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है वहाँ तक अपील जिसमे सरसरी कार्यवाही है उसके आधार पर हको का निर्धारण अपील में नहीं किया जा सकता। यहाँ यह भी विदित है कि स्वयं रूकमा बाई ने एक नियमित वाद सं. 24 दावा/2020 बउनवान रूकमा बाई बनाम मोती का माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय तालेडा के यहा जैरकार है। इस कारण भी उक्त अपील पोषणीय नही है, खारिज होने योग्य है। अपील की चरण संख्या 3 मे वर्णित तथ्य स्वीकार नही है अस्वीकार है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर रजिस्टर्ड दस्तावेज से नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज हुआ है इस कारण अपील खारिज होने योग्य है। अपील की चरण सं. 4 स्वीकार नही है अस्वीकार है। अपील में अपीलान्ट सं. 2 स्वयं द्वारा उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 28–2–1998 को अपीलान्ट को सूचना होना स्वीकार किया है एवं अपीलान्ट रूकमा को रेस्पोन्डेंट सं0 1 मोती बहन मानता है बहन के रूप में ही मोती द्वारा रूकमा की एक पुत्री का विवाह स्वयं मोती ने किया है एवं विवाह के समय मौसाला आदि का सम्पूर्ण खर्चा मोतीलाल द्वारा ही वहन किया है एवं रामा के पास पुत्र के रूप में रहा है एवं अपीलान्ट को भी बहनो के रूप में हमेशा से रखा है रामा की वृद्धावस्था में सम्पूर्ण सेवा सुश्रूषा मोती लाल ने की है एवं मृत्यु के बाद भी पुत्रवत सम्पूर्ण मृत्यु उपरान्त के क्रिया क्रम पुत्रवत किये है। इस कारण उक्त अपील निरस्त होने योग्य है। अपील की चरण सं. 5 स्वीकार नही है अस्वीकार है। अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी उक्त नामान्तकरण की प्रारम्भ से ही थी एवं नामान्तकरण सं. 418 दिनांक 3–2–2003 को करीब 20 वर्ष तस्दीक हुये हो गये है। 18–20 वर्ष पश्चात उक्त अपील अपीलान्ट् द्वारा पेश की है जो मियाद बाहर है इस कारण भी अपील खारिज होने योग्य है। अपील की चरण सं. 6 स्वीकार नहीं है अस्वीकार है। स्वयं रामा ने दिनांक 28–2–1998 को रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अपनी कृषि भूमि का मोती लाल दत्तक पुत्र के पक्ष में निष्पादित कर स्वयं ने मोतीलाल को रजिस्टर्ड दस्तावेज में गोद पुत्र होना कहा है उक्त स्वीकारोक्ति स्वयं रामा की है रामा के पश्चात उक्त दस्तावेज से भुमि मोती लाल के खाते मे दर्ज हो गई और मोती लाल द्वारा भी उक्त भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र सुमित्रा पत्नी बबलू सिंह, प्रकाश बाई पत्नी पप्पूसिंह, निर्मला बाई पत्नी मुकेश सिंह जाति सोंध्या राजपूत निवासी सूतडा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08–04–2021 को बैचान कर दिया है वर्तमान में उक्त भुमि की क्रेतागण ही खातेदार है। जिन्हे उक्त अपील मे पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण भी उक्त अपील निरस्त होने योग्य है। अपील की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही है। अस्वीकार है। रजिस्टर्ड दस्तावेज से नामान्तकरण सं. 418 तस्दीक हुआ है। जिसका निर्णय नियमित वाद में होना है इस कारण अपील खारिज होने योग्य है। अपील की चरण सं. 8 स्वीकार नही है अस्वीकार है। स्वयं रामा द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज में गोद पूत्र माना है। उक्त दस्तावेज में दो गवाहो के समक्ष गोद पूत्र होना स्वीकार किया

अपीलान्ट सुन्दर बाई जो रूकमा की सगी बहन है वह भी मोती को गोद पुत्र होना स्वीकार करती है एवं उक्त बहनो की सहमति से ही भाई दत्तक पुत्र मोती लाल आ0 रामा को देना स्वीकार करती है। इस कारण बदयान्ति आने से अपीलान्ट द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर अपील पेश की है जो निरस्त होने योग्य है। अपील की चरण सं. 9 स्वीकार नही है अस्वीकार है। अपीलान्ट द्वारा फर्जी एवं बनावटी वसीयत नामा प्रकट होना कहा है जिसके सम्बंध में स्वयं सुन्दर बाई इन्कार करती है। रामा द्वारा अपने जीवन काल में ही रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 28–2–98 से अपने खातेदारी की भूमि को मोतीलाल के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया है। ततपश्चात जिस दिन रामा के पास अपने खाते मे भूमि ही नहीं है तो फिर किस तरह से वसीयत नामा रामा द्वारा किया जायेगा, क्योकि दिनांक 28–2–98 को उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि का हस्तांतरण हो चुका था। इस कारण अपील निरस्त होने योग्य है। अपील की चरण सं. 10 स्वीकार नही है अस्वीकार है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण सं. 418 तस्दीक हुआ है। इस कारण अपीलान्ट जहाँ तक उक्त रजिस्टर्ड डोक्यूमेंट को निरस्त नही करवा लेती किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अस्वीकार है। अपील की चरण सं 13 स्वीकार नही है, अस्वीकार है। नामान्तकरण सं. 418 दिनांक 2–3–2003 ग्राम सुतडा को करीब 20 वर्ष हो गये अपील 18 वर्ष पश्चात पेश की है जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलान्टगण को है यह तथ्य अपीलान्ट सं0 2 तो स्वीकार भी करती है। इस कारण उक्त अपील मियाद बाहर है। अपील अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है। क्योकि 18 साल के लम्बे अन्तराल के बाद झूठे तथ्यो के आधार पर अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलान्ट की उक्त अपील सव्यय खारिज फरमायी जावे। जवाब रेस्पोडेन्ट ने जवाब के समर्थन में रजिस्टर्ड त्यागपत्र दिनांक 30.9.1994 की प्रति, रसीद दिनांक 30.9.1994 की प्रति, शोक पत्रिका एवं आधारकार्ड की छायाप्रति पेश की।

बहस उभय पक्ष सूनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में रतन लाल वल्द मोडया व मु0 सरजू बाई बेवा मोडया, झमकू, अगामी, भूली, प्यारी बाई, मनभर पुत्रीयां मोडया व रामा वल्द कूका 2/3 तथा घीसी बेवा भेरया, मोती, नन्दा पिता भेरया 1/3 खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें खातेदार रामा की मृत्यु दिनांक 07.04.1999 को हो चुकी है। खातेदार स्व0 रामा वल्द कूका के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं था। केवल मात्र दो पुत्रियां रूकमा बाई व सून्दर बाई है। जिनके पक्ष में स्व0 रामा द्वारा अपने जीवनकाल में काल में ही एक वसीयतनामा अपनी दोनो पुत्रियों रूकमा बाई व सुन्दर बाई के पक्ष में दिनांक 24.08.1998 को नोटरी पब्लिक बून्दी से 100/–रू0 के स्टाम्प पर प्रमाणित कर गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित करवा दिया गया था। वसीयत नामा निष्पादित करवाने के बाद करीबन 8 माह बाद खातेदार रामा वल्द कूका की मृत्यु हो गई थी। खातेदार रामा वल्द कूका की मृत्यु होने के बाद रेस्पोडेंट सं. 1 मोती वल्द भैरया ने स्वयं को स्व0 खातेदार रामा वल्द कूका का गोद पुत्र बताते हुऐ उसके 1/3 हिस्से की संपूर्ण कृषि भूमि पर एक गोदनामें के आधार पर अपना नाम खातेदार रामा के स्थान पर दर्ज करवा लिया। जिसका नामांतकरण सं. 418 दिनांक 03.02.2003 को ग्राम पंचायत धनेश्वर के सरपंच विजयलाल कुम्हार के द्वारा तस्दीक किया गया था। खातेदार रामा वल्द कूका की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट सं. 1 ने रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 के साथ मिलिभगत करते हुऐ अपीलान्ट को उनके हक व अधिकार से वंचित करने के उद्धेश्य से खातेदार रामा के हिस्से की संपूर्ण कृषि भूमि को अपने नाम जरिये नामांतकरण सं. 418 से दर्ज करवा लिया गया है। उक्त नामान्तरण की प्रक्रिया विधि विरूद्ध व सर्वथा न्याय के विपरीत है। खातेदार रामा वल्द कुका का नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट्गण द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना, नोटिस नही दिया गया और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को कभी भी यह अवगत कराया कि स्व0 रामा ने उसे गोद लिया हुआ है तथा उसके पक्ष में गोदनामा का दस्तावेज निष्पादित किया हुआ है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी अपीलान्टी विवादित आराजी में अपने हिस्से तक नाम दर्ज कराने के हकदार है। अतःअपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 418 दिनांक 3.2.2003 को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम अपने पिता की भूमि में दर्ज रेकार्ड किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने जवाब अपील को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्व0 रामा वल्द कूका ने अपने जीवन काल में अपने भाई भैरया के पुत्र मोती को गोद लिया था, उक्त विवादित भूमि पर स्वर्गीय रामा जी ने सम्पूर्ण रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा मे निहित 1/3 हिस्से को जर्ये रजि0 हक त्याग पत्र उप पंजीयक बूंदी के यहाँ पंजीकृत दस्तावेज से मोती आ0 भैरया जाति कुम्हार निवासी सूतडा जिसे उक्त हक त्याग पत्र में स्वयं रामा द्वारा अपना गोद पुत्र बताया और यह स्वीकार किया कि काफी समय पूर्व ही गोद रख लिया था वर्तमान में भी साथ रह रहा है अर्थात मोती आ0 दत्तक पुत्र रामा है। उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 28–2–98 को उप पंजीयक बूंदी के यहां पंजीबद्ध हुआ पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 153 क्रम संख्या 60 क्रम संख्या 181 अतिरिक्त पुस्तक सं.1 जिल्द सं. 253 पृष्ठ सं. 108 से 111 पर चस्पा किया गया है। उक्त हक त्याग पत्र में केस नंबर 791/94 को दर्ज कर निर्णय दिनांक 24–01–98 को हुआ एवं उक्त दस्तावेज पर 1,50,000/–रूपये किमत स्टाम्प पर पूर्ण मुद्रांकित राशि जमा की गई। इस तरह से रेस्पोन्डेंट मोती लाल ने रजिस्टर्ड दस्तावेज से उक्त भूमि प्राप्त की है। जिसका नामान्तकरण संख्या 418 दिनांक

2–2003 रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर तस्दीक हुआ है जहाँ तक उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है वहाँ तक अपील जिसमे सरसरी कार्यवाही है उसके आधार पर हको का निर्धारण अपील में नहीं किया जा सकता। यहाँ यह भी विदित है कि स्वयं रूकमा बाई ने एक नियमित वाद सं. 24 दावा/2020 बउनवान रूकमा बाई बनाम मोती का इसी न्यायालय मे जैरकार है। इस कारण भी उक्त अपील पोषणीय नहीं है, खारिज होने योग्य है। उक्त नामान्तकरण सं0 418 दिनांक 03.02.2003 को तस्दीक हुआ है। जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा 18–20 वर्ष पश्चात की गई जो कि मियाद बाहर होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अपने जवाब एवं बहस के समर्थन में अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त ''आरआरडी 2011 पेज नं. 228 अपील मियाद बाहर बाबत , आरआरडी 2011 पेज नं. 749 रजि. दान पत्र सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं होने से अपील खारिज, आरआरडी 2008 पेज नं. 168 नामान्तकरण कार्यवाही सरसरी कार्यवाही, आरआरडी 2017 पेज नं. 525 वसीयत का प्रश्न साक्ष्य में तय होगा, आरआरडी 2009 पेज नं. 750 रजिस्टर्ड दस्तावेज को जहाँ तक सिविल न्यायालय निरस्त नहीं करता वाद पोषणीय नहीं है'' पेश किये।

बहस उभयपक्ष सूनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 30.9.1994 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि रामा द्वारा मोती को गोदपुत्र मानते हुए उक्त तिथी को मोती के पक्ष में हक त्याग पत्र निष्पादित करवाया गया एवं उक्त दस्तावेज के आधार पर रामा का नामान्तकरण सं0 418 दिनांक 3.2.2003 वाके ग्राम सुतडा तस्दीक किया गया। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि रामा की जायन्दा पुत्रिया रूकमा एवं सुन्दर बाई के पक्ष मे यदि रामा द्वारा नोटेरी पब्लिक वसीयत नामा निष्पादित किया गया था तो रूकमा एवं सुन्दरबाई द्वारा अपने पिता की मृत्यु पश्चात उक्त वसीयतनामा के आधार पर फोती नामान्तकरण दर्ज करवाये जाने की कार्यवाही क्यो नहीं की गई। ना ही अपने पिता की भूमि पर हक अधिकार बाबत 17 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह भी विचारणीय बिन्दु है। इस बाबत अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट कारण अपील में अंकित नहीं किया गया। उक्त 17 वर्ष की अवधि के विलम्ब बाबत प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही कोई प्रमाणित साक्ष्य विलम्ब हेतु पेश किया गया। केवल मात्र कोरोना वायरस के प्रभाव रहने से लॉकडाउन के कारण विलम्ब होना नामान्तकरण अपील में लगभग 17 वर्ष विलम्ब का संतोषप्रद कारण नहीं होने से विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विवादित आराजी का नामा0 सं0 418 रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर रेस्पो0 कम–1 के पक्ष मे तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 कम–1 विवादित आराजी का सद्भावी ग्राही है। अतः रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख को निरस्त किये बिना उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तकरण को कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के संबध मे पक्षकारान के मध्य एक राजस्व वाद अन्तर्गत राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा मे ही लम्बित है अतः उक्त लम्बित वाद मे ही पक्षकारान् के हक हकूको का निर्धारण होना है। ऐसी स्थिति मे ''नियमित वाद के विचाराधीन रहते नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही मे उत्तराधिकार का प्रश्न या किसी के हक अधिकार का प्रश्न तय नहीं किया जा सकता।'' चूंकि नामान्तकरण सं0 418 रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर ग्राही रेस्पो0 कम–1 के पक्ष मे तस्दीक किया गया है जिसमे कोई विधिक दोष होना प्रकट नहीं होता है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रश्नगत प्रकरण मे चस्पा होती है। नामान्तकरण सं. 418 अभिलेखो का समुचित परीक्षण कर तस्दीक किया है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त अपील लगभग 17 वर्ष बाद पेश की गई है एवं विलम्ब का कोई संतोषप्रद कारण प्रस्तुत नहीं करने से अपील मियाद बाहर है। उक्त विवेचित तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट खारिज योग्य है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा